

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
/24	212 RTA	आंकेडी	बारां
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
कृष्णमुरारी	बनाम	गायत्री बाई वगै०	
वकील :-	आदेश पत्रक	वकील:-	
दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश		विविध संदर्भ

06.06.2024 अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थी के न्याया० में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्बे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.07.24 को पेश हो।

25-7-24 गौठासीन अधिकारी श्री. राजेश कुमार के वाद में रहने से पूर्ववत दिनांक 17-9-24 को प्रस्तुत हो।

17-9-24 गौठासीन अधिकारी श्री. राजेश कुमार के वाद में रहने से पूर्ववत दिनांक 5-11-24 को प्रस्तुत हो।

05/11/24 पत्रावली पेश की। वकील प्रार्थी उर्फ अप्रार्थीगण के नोटे प्रेस वास एपीएल एक्ट जो. शा. ५० है। अप्रार्थीगण को प्रकरण को खाना 25/7/24 के पूर्व ही खे-युपी है। अप्रार्थीगण वापस भू-पना अनुपासित है। काम भी अनुपासित है। नरः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जारी है। वकील प्रार्थी ने नोटे प्रेस अंतिम कर प्रकरण को नये गये पत्रावली पत्रे हेतु जिसे किया। कुंजी वकील को प्रार्थी प्रकरण को नये गये पत्रावली पत्रे रखा स्वी लेन पर जिन्हारे अन्वयता माये है। नरः एहर प्रकरण नोटे प्रेस वकील प्रार्थी के लिये किया जा रहा है। पत्रावली प्रेशल शुगर केकर नम्बर के वास के वास एपीएल निलंबन के प्रकृष्ट है। नरः नरः नरः नरः

Mat press
O.P. MUKA
5-11-24